प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
संचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 27 सितम्बर, 2017

विषय– **दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को रू0 1.00 लाख तक का ऋण 02 प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1160/XIV–1/2015–5(19)2010 दिनांक–06 अक्टूबर, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता सहभागिता योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित समस्त सैक्टर यथा हाल्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, डेरी, फिशरी, मशरूम इत्यादि में कलस्टर विकसित कर कृषकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करते हुए उनकी कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से **"दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना"** के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने तथा वितरित कृषि ऋण का प्रथम वर्ष का ब्याज रू0 33.00 करोड़ एवं आगामी वर्षों में रू0 6.00 करोड़ से रू0 8.00 करोड़ की वृद्धि होने पर उक्त सम्पूर्ण व्यय भार को राज्य सरकार द्वारा निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वहन किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. यह योजना दिनांक–01 अक्टूबर, 2017 को **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जी** की पुण्य तिथि से प्रारम्भ की जायेगी, जो कि स्वीकृत ऋणों पर ही प्रभावी होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा, और उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
3. लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा।
4. लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/घोषित ऐजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।
5. योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा।

क्रमशः–2

6. योजना का नियोजन विभाग से मूल्यांकन एवं अध्ययन कराया जाय।
7. योजना सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित ऋणों पर ही प्रभावी होगी।
8. योजना का लाभ लाभार्थी को डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदान किया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष ही निर्धारित किया जायेगा। बजट से अधिक ऋण वितरण करने पर सम्पूर्ण दायित्व एवं जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड की होगी।
10. योजना के अन्तर्गत जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्यों द्वारा रू0 1.00 लाख तक का ऋण लिया जायेगा, उन्हें ही 02 प्रतिशत ब्याज की दर देय होगी।
11. यदि पात्र लभार्थी को उक्त योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं कर पाता है, तो उस सदस्य को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य दर के अनुसार वसूली की जायेगी।
12. कृषकों द्वारा समय से ऋण अदायगी किये जाने पर ब्याज अनुदान की मांग त्रैमासिक आधार पर सहकारी समिति स्तर से, सहायक विकास अधिकारी (सह0)/शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 तथा जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक/सचिव महाप्रबन्धक के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 को प्रेषित की जायेगी। तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, लि0, हल्द्वानी, नैनीताल से सूचना संकलित करते हुए निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।
13. उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार बजट निर्धारण निबन्धक स्तर से किया जायेगा तथा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में कृषकों को ऋण वितरण समानुपातिक रूप से किया जायेगा, जिससे योजना का लाभ विकास खण्ड स्तर पर समुचित रूप से मिल सके।
14. कृषि से सम्बन्धित समस्त सैक्टर यथा हाल्टीकल्चर, फलोरीकल्चर, पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, डेरी, फिशरी, मशरूम इत्यादि के अन्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) रूपये होगी, और लाभार्थी को एक बार ही उक्त व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
15. योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये लाभार्थी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय एवं उनकी आर्थिक स्थिति में हुयी प्रगति का विवरण जिला सहायक निबन्धक एवं महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट निबन्धक, सहकारिता विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः–

16. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों की त्रैमासिक प्रगति जनपदवार अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। त्रैमासिक समीक्षा के उपरान्त ही राजकीय अंश की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

17. मुख्यालय/जिला/विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

18. राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करायी जाने वाली सहायता का भुगतान बजट में निहित लेखाशीर्षक के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0 संख्या–81/XXVII–4–17/दिनांक–27 सितम्बर , 2017 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या–1295/(1)/ XIV–1/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9. समस्त महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
10. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0ए उत्तराखण्ड।
13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
14. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(तुलसी राम)
अपर सचिव।

संख्याः- 145 /XIV–1/19/5(19)2010

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 08 फरवरी, 2019

विषय– दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों/अकृषकों को रू0 1.00 लाख तक का ऋण ब्याज रहित उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1295/XIV–1/2017–5(19)2010 दिनांक–27 सितम्बर, 2017 को अवक्रमित करते हुए कृषकों की उत्पादन आय दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को कृषि एवं कृषिकर्म एवं सहवर्ती कार्यों के साथ ही कृषि प्रसंस्करण (Agro Processing) से सम्बन्धित कार्य कलापों हेतु व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी को रूपये 1.00 लाख (रू0 एक लाख) तक का ऋण तथा स्वय सहायता समूह को रू0 5.00 लाख (रू0 पॉच लाख) तक का ऋण ब्याज रहित उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. इस योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा, और उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उक्त के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
2. लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा।
3. लघु एवं सीमान्त कृषक तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/घोषित ऐजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।
4. योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों/स्वयं सहायता समूह को नहीं दिया जायेगा।
5. योजना का नियोजन विभाग से मूल्यांकन एवं अध्ययन कराया जाय।
6. योजना सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋणों पर ही प्रभावी होगी।

क्रमशः–2

7. योजना का लाभ लाभार्थी को डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदान किया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष ही निर्धारित किया जायेगा। बजट से अधिक ऋण वितरण करने पर सम्पूर्ण दायित्व एवं जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड की होगी।
9. यदि पात्र लभार्थी को उक्त योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं कर पाता है, तो उस सदस्य को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य दर के अनुसार वसूली की जायेगी।
10. कृषकों द्वारा समय से ऋण अदायगी किये जाने पर ब्याज अनुदान की मांग त्रैमासिक आधार पर सहकारी समिति स्तर से, सहायक विकास अधिकारी (सहं0)/ शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 तथा जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक/सचिव महाप्रबन्धक के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 को प्रेषित की जायेगी तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, लि0, हल्द्वानी, नैनीताल से सूचना संकलित करते हुए निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।
11. उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार बजट निर्धारण निबन्धक स्तर से किया जायेगा तथा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में कृषकों को ऋण वितरण समानुपातिक रूप से किया जायेगा, जिससे योजना का लाभ विकास खण्ड स्तर पर समुचित रूप से मिल सके।
12. कृषकों को कृषि एवं कृषिकर्म एवं सहवर्ती कार्यों के साथ ही कृषि प्रसंस्करण (Agro Processing) से सम्बन्धित कार्य कलापें हेतु व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी को रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) तक का ऋण तथा स्वय सहायता समूह को रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तक का ऋण ब्याजमुक्त उपलब्ध कराया जायेगा।
13. योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये लाभार्थी/स्वयं सहायता समूह द्वारा किये जा रहे व्यवसाय एवं उनकी आर्थिक स्थिति में हुयी प्रगति का विवरण जिला सहायक निबन्धक एवं महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट निबन्धक, सहकारिता विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
14. स्वय सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराये जाने से पूर्व समूह के द्वारा किये जा रहे योजना से सम्बन्धित कियाकलापों का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
15. स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराये जाने से पूर्व परियोजना की आर्थिकता का भी आंकलन किया जाना आवश्यक होगा।
16. लाभार्थियों द्वारा योजना से आच्छादित कियाकलापों हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार (अन्य विभागों) में संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभ पर सम्बन्धित लाभार्थी का अंश रू0 1.00 लाख से न्यून होने पर उक्त योजानान्तर्गत ब्याज रहित ऋण अनुमन्य किया जायेगा।

क्रमशः

17. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों की त्रैमासिक प्रगति सूचना जनपदवार अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। त्रैमासिक समीक्षा के उपरान्त ही राजकीय अंश की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
18. मुख्यालय/जिला/विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
19. राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करायी जाने वाली सहायता का भुगतान बजट में निहित लेखाशीर्षक के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0 संख्या–206/वित्त–4/दिनांक–08 फरवरी, 2019 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– 145/(1)/ XIV–1/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2 सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3 आयुक्त, कुमांऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4 अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8 समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9 समस्त महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
10 महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
11 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड। (द्वारा निबन्धक)
12 निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
13 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
14 गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 29 जुलाई, 2020

विषय– दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों/अकृषकों को ₹1.00 लाख से ₹3.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–145/XIV–1/20–5(19)2010 दिनांक 08 फरवरी, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को कृषि एवं कृषिकर्म एवं सहवर्ती कार्यों के साथ ही कृषि प्रसंस्करण से सम्बन्धित कार्य कलापों हेतु व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी को ₹1.00 लाख से ₹3.00 लाख तक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल निम्न अतिरिक्त/नये प्राविधान एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त योजना हेतु आवंटित बजट सीमा के अन्तर्गत ही ऋण वितरण किया जायेगा।
2. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत सामान्य, लघु एवं सीमान्त कृषकों को सम्मिलित किया जायेगा।
3. उक्त योजनान्तर्गत कृषि एवं सहवर्ती कार्यों हेतु अल्पकालीन एवं मध्यकालीन अवधि के ऋण वितरण करने की सुविधा है।
4. उक्त योजनान्तर्गत वितरित होने वाले ब्याजरहित अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा ₹1.00 लाख व मध्यकालीन ऋण की अधिकतम सीमा ₹3.00 लाख होगी।
5. उक्त योजनान्तर्गत स्वय सहायता समूह को वितरित ऋण की अधिकतम सीमा पूर्व की ही भांति ₹5.00 लाख होगी।
6. उक्त के अतिरिक्त सदस्यों एवं स्वयं सहायता समूहों को वितरित किये जाने वाले ऋण हेतु मापदण्ड/अर्हता व अन्य समस्त आवश्यक औपचारिकतायें/नियम/शर्तें शासनादेश संख्या–145/XIV–1/20–5(19)2010 दिनांक 08 फरवरी, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अधीन होंगे। यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

क्रमशः

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0 संख्या–49/XXVII(4)/2020 दिनांक 27.07.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– /(1)/ XIV–1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2 सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3 आयुक्त, कुमांऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4 अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8 समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9 समस्त महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
10 महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
11 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
12 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
13 गार्ड पत्रावली।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।